समझें सीखें - द्वितीय चरण

(मिशन गुणवत्ता)

समझें सीखें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक शालाओं के सभी बच्चों के भाषा और गणित सीखने हेतु एक ठोस कार्यक्रम

परिचय

'प्रथम' द्वारा प्रकाशित **असर** प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में स्थिति का विश्लेषण करता है । प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की कमी तथा बिना सरल वाक्य पढ़े अथवा लिखे एवं सरल गणित बिना सीखे ही व्यापक पैमाने पर बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की बात बराबर आ रही है । यह एक अत्यंत गम्भीर चुनौती है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पूर्व बच्चों को सरल वाक्य समझना, पढ़ना, लिखना तथा सरल गणित में दक्षता हासिल करना नितान्त आवश्यक है ।

वर्ष 2012 के 'प्रथम' के बिहार के बारे में **असर** प्रतिवेदन में निम्नलिखित गुणवत्ता संबंधी आंकड़े एक गम्भीर परिस्थिति का वर्णन करते हैं :

कक्षा-5 के मात्र 44.4 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा-2 स्तर की पाठ्यपुस्तक को धराप्रवाह पढ़ना जानते हैं तथा कक्षा-3 के मात्र 52.9 प्रतिशत बच्चे ही सफलता से पढ़ना जानते हैं । इसी प्रकार से कक्षा-4 के मात्र 43 प्रतिशत बच्चे ही घटाव करना जानते हैं तथा भाग करना कक्षा-5 के बच्चों में से मात्र 31.4 प्रतिशत बच्चे ही जानते हैं । यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए एक अत्यंत गम्भीर चुनौती है जिसपर युद्ध-स्तर पर काम करने की आवश्यकता है ।

कार्यक्रम क्यो ?

शिक्षा विभाग देश के महत्तवपूर्ण शिक्षाविदों के शोध एवं अन्य सुझावों का गहन अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि बच्चों के शिक्षण में सुधार एक अकादमिक सत्र में भी संभव है, यदि इस पर पूरी उर्जा लगायी जाए तथा एक व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक शिक्षक तथा शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक बच्चों तक

पहुँचने की कोशिश हो । वर्ष 2011 में शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के विद्यालयों में 'समझें-सीखें' नाम से एक "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया था । उक्त कार्यक्रम में हर स्तर पर एक सफल विद्यालय तथा बच्चों तक शिक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने के कई सुझाव थे जिनपर कई विद्यालयों में आगे काम भी किया गया है । 'समझें-सीखें' कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के अनिवार्य सूचक तैयार किये गये थे तथा विद्यालय के प्रमुख भागीदारों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण भी किया गया था, विशेष रूप से विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, बाल संसद, मीना मंच, विद्यालय शिक्षा समिति, पंचायत प्रतिनिधि, बिहार शिक्षा परियोजना, राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. तथा बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये थे । वैसे तो 'समझें-सीखें' कार्यक्रम में अच्छी सोच तथा विद्यालय-स्तर के मानकों की पहचान भी की गयी थी परन्तु सफलता के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता है अथवा विशेष प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की भी जो बजट आदि की व्यवस्था है उसकी चर्चा नहीं की गयी थी. साथ-साथ कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कालबद्धता एवं अनुश्रवण से बच्चों के गुणवत्ता शिक्षण के आधार पर व्यवस्था नहीं थी । विद्यालयों का अनुश्रवण तथा प्राय: बच्चों तक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी ।

'मिशन गुणवत्ता' कार्यक्रम 'समझें-सीखें' में प्रारम्भ किये गये अच्छी गतिविधियों को कालबद्ध तरीके से लागू करने तथा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में वांछित शैक्षिक स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है । शोध का यह निष्कर्ष कि बच्चों को जोर-जोर से समझकर पढ़ने की परिपाटी में वृद्धि तथा बच्चों का प्रतिदिन कक्षावार बैठने की व्यवस्था को हटाकर निपुणता एवं दक्षता के आधार पर समूहीकरण कर भाषा और गणित पढ़ने की व्यवस्था कर बेहतर परिणाम की प्राप्ति संभव है । 'प्रथम' संस्थान ने प्रयोग के तौर पर जहानाबाद जिला में एक प्रारम्भिक परीक्षा लेकर बेसलाईन सर्वेक्षण किया तथा उसके पश्चात् संकुल प्रभारियों के माध्यम से उनका प्रशिक्षण कर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा जोर-जोर से पढ़ने की परिपाटी को तेज करने एवं दक्षता आधारित समूहीकरण कर भाषा पढ़ाने की व्यवस्था के प्रयास किये हैं । इसके अच्छे परिणाम आये हैं और इसे देखते हुए 'मिशन गुणवत्ता' कार्यक्रम के अन्तर्गत इन संभावनाओं को भी ठोस रूप से आगे बढ़ाया जायेगा । इसी प्रकार भाषा-शिक्षण के संबंध में भी

समझदारी बढ़ाने की कोशिश की गयी और यह देखा गया कि यदि आंचलिक बोलियों में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें औपचारिक हिन्दी भाषा समझने में भी सुविधा होगी । इसी उद्देश्य से आगामी अकादमिक सत्र के पूर्व मगही, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी जैसी भाषाओं में घर पर बोले जानेवाले शब्दों के आधार पर शब्दकोष आदि कक्षाओं के लिए तैयार किये जा रहे हैं । इनके उपयोग से बच्चों को अक्षर पहचान में सुविधा होगी और तदुपरान्त औपचारिक हिन्दी भाषा में काम करने में सुविधा होगी । इसी प्रकार श्री धीर झिंगरन के शोध के आधार पर कक्षाओं के आयोजन में समझकर पढ़ने एवं लिखने की व्यवस्था को और मजबूत किया जायेगा । भाषा-शिक्षण पर विशेष बल होगा. क्योंकि भाषा सीखने पर ही बच्चे गणित तथा समाज अध्ययन में निपुणता हासिल कर सकेंगें ।

<u>अब तक उठाये गये ठोस कदम</u>

शिक्षा विभाग मिशन गुणवत्ता के एकवर्षीय कार्यक्रम को पूरी तैयारी के साथ संचालित करना चाहता है ताकि प्रत्येक आवश्यकता के लिए वित्तीय प्रावधान, स्वीकृति एवं सुविधाएँ पूर्व निर्धारित हों । कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग द्वारा निम्नलिखित ठोस व्यवस्थाएँ की गयी हैं अथवा की जा रही हैं जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुँचाने की संभावनाएँ बढ़ेंगी । चन्द उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं –

(i) अगले अकादमिक सत्र के पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त लगभग 1.15 लाख से 1.30 लाख शिक्षक, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, की नियुक्ति कर ली जाएगी । ऐसा होने से विद्यालय-स्तर पर अच्छे शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी तथा प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने में सहयोग होगा ।

(ii) इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में 76 हजार अतिरिक्त कक्षा-निर्माण तथा लगभग दो हजार नये प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जा रहा है । ऐसा होने से न्यूनतम आधारभूत संरचना की स्थिति में भी सुधार होगा । इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये गये शौचालय निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, रैम्प का

निर्माण, प्रधानाध्यापक कक्ष आदि सभी निर्माण-कार्यों को अगले अकादमिक सत्र के पूर्व पूरा करा लिया जा रहा है ।

(iii) सभी बच्चों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पुस्तक, छात्रवृत्ति, साइकिल तथा प्रोत्साहन राशि पहुँचाने हेतु शिक्षा विभाग ने दिनांक 15 जनवरी से 30 जनवरी तक एक सघन सामाजिक उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया है । विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए इन सुविधाओं को वैसे बच्चों को दिया गया है जिनका अप्रैल से सितम्बर, 2012 में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक रही है । वैसे तो कई विद्यालयों में इसको लेकर हंगामा हुआ परन्तु भविष्य के लिए यह संदेश घर-घर तक पहुँच गया है कि बच्चों की ७५ प्रतिशत उपस्थिति के बिना इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकता है । इस ठोस पहल से यह सुनिश्चित हुआ है कि अब छात्र-उपस्थिति राज्य के विद्यालयों में 75 प्रतिशत से अधिक अवश्य होगी । जब बच्चे विद्यालय नियमित रूप से आएँगे तो अवश्य ही उनके सीखने की गति में भी सुधार होगा ।

(iv) राज्य में पूर्व से कार्यरत दो लाख चौंतीस हजार से भी अधिक नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु ठोस कदम उठाये गये हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में प्रशिक्षणोपरान्त ये शिक्षकगण सफल शिक्षण कराने के योग्य है । प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक को विद्यालय में बनाये रखने की अनुमति नहीं है । इस आशय का निदेश शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है ।

(v) विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सक्रिय संकुल समन्वयकों की आवश्यकता पड़ती है । शिक्षा विभाग ने सबसे योग्य संकुल प्रभारी के चयन की मार्गदर्शिका तैयार की है और नये संकुल प्रभारियों का चयन भी हर हालत में अगले अकादमिक सत्र के पहले पूरा कर लिया जाएगा। संकुल समन्वयक के साथ-साथ प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयकों का चयन भी कर लिया जाएगा.

(vi) राज्य में 52 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं 4 बी0एड0 कॉलेज भी प्रारम्भ किये गये हैं

तथा उनके संकाय सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सभी संभावनाओं से प्रशिक्षित किया जा रहा है । हर स्तर पर संकाय सदस्य एवं साधन व्यक्तियों की खोज एक प्रक्रिया से किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण से केवल उत्कृष्ट सेवाकर्मी ही जुड़ सकें । राज्य के संभावित 10 लाख शिक्षकों के लिए राज्य में 10 हजार अध्यापक शिक्षक तैयार करने की योजना बनायी गयी है और उस पर तीव्र गति से काम चल रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों और उनके संकाय सदस्यों की मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम में पूरी भागीदारी होगी ताकि विद्यालय-स्तर पर प्रत्येक बिन्दु पर गहराई से काम किया जा सके । अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, प्रथम तथा NCERT के सहयोग से काम किया जाएगा । अध्यापक शिक्षण में उत्कृष्टता स्थापित करने हेतु कई ठोस कदम उठाये गये हैं ।

(vii) बच्चों के शिक्षण की प्रगति तथा विद्यालय मूल्यांकन हेतु छात्र-छात्रा प्रगति-पत्रक तथा विद्यालय प्रगति-पत्रक आकर्षक तरीके से तैयार कर सभी विद्यालयों तक पहुँचाया गया है । बच्चों के प्रगति-पत्रक में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य से भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन तथा बच्चों के अन्य विकास के मुद्दों पर कई प्रमुख Learning Milestones निर्धारित किये गये हैं जिसे अभिभावक के साथ भी बाँटा जा सकेगा। इसी प्रकार विद्यालयों के प्रगति-पत्रक के माध्यम से उनके गुणवत्ता की ग्रेडिंग भी की जाएगी साथ-साथ अध्यापकों के लिए भी दक्षता प्रगति-पत्रक तैयार किये गये हैं जिसे भी शीघ्र लागू किया जायेगा। प्रगति-पत्रक से प्राप्त आँकड़ों को कम्पयूटरीकृत करके शिक्षक, छात्रों के शिक्षण तथा विद्यालय की स्थिति के संबंध में ऑन-लाईन अनुश्रवण व्यवस्था कायम की जाएगी।

(viii) अथक प्रयास से बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि अगले अकादमिक सत्र से, समय से सभी बच्चों को पठन-पाठन सामग्री प्राप्त हो जाएँ। पुस्तकों के अतिरिक्त इस वर्ष अभ्यास पुस्तिका की व्यवस्था भी की गयी है ताकि बच्चों के लिखने के प्रयास को और बढ़ाया जा सके । अन्य अतिरिक्त

पठन सामग्री की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि शिक्षण में कोई अवरोध नहीं हो ।

(xi) प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान को कम से कम 10 विद्यालयों के निरीक्षण की जिम्मेवारी दी गयी है तथा शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी के लिए भी हर स्तर पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था तथा मानक तैयार किये गये हैं । इन मानकों का गंभीरता से पालन कराया जाएगा ताकि सभी विद्यालयों का निरन्तर पर्यवेक्षण होता रहे एवं हर स्तर पर एक focussed तरीके से प्रगति की समीक्षा हो ।

(x) विद्यालयों के संचालन का समय 9.00 बजे से 4.00 बजे तक किया गया है एवं 3.00 से 4.00 बजे के बीच ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष सहयोग की आवश्यकता हो उनके शिक्षण की व्यवस्था की गयी है साथ-साथ महादलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिए भी विद्यालय-परिसर में ही टोला सेवक तथा तालीमी मरकज स्वयंसेवक के माध्यम से व्यवस्था की गयी है। टोला सेवक एवं तालीमी मरकज स्वयंसेवकों का दायित्व इन समुदाय के बच्चों को शिक्षण सहयोग देने की है ताकि उनकी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो और वे विद्यालय में बने रहे । साक्षरता प्रवेशिकाओं के माध्यम से भी माँ तथा बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी ।

(xi) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भी 100 प्रतिशत विद्यालयों में 100 प्रतिशत कार्य दिवस को 100 प्रतिशत उपस्थित बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है । गत छः माह में इसमें काफी सुधार हुआ है और अब लगभग 95 प्रतिशत विद्यालयों में नियमित रूप से सभी उपस्थित बच्चों के लिए सभी कार्य दिवस को भोजन उपलब्ध है । अन्न गुणवत्ता तथा अन्य समस्याओं का भी समाधान ढूँढा जा रहा है एवं किचेन शेड का निर्माण भी किया जा रहा है । इस प्रकार मध्याह्न भोजन भी सभी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

(xii) सभी मध्य विद्यालयों की लड़कियों के लिए जूडो-कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ताकि वे आत्म-रक्षा कर सकें । इससे विद्यालयों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी । साथ-साथ सभी बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था तथा अन्तर विद्यालीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था भी की गयी है ।

(xiii) विद्यालय को समाज से जोड़ने के उद्देश्य से विद्यालय-स्तर पर 'सामाजिक उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है । राज्य में 78 नुक्कड़ नाटक मंडलियों के माध्यम से हर पंचायत के एक मध्य विद्यालय में 'शिक्षा का अधिकार' कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं । 'सामाजिक उत्सव' के माध्यम से हर विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन तथा अभिभावकों से सम्पर्क भी किया जा रहा है । अभिभावकों को जोड़ने हेतु विद्यालय शिक्षा समिति को भी मजबूत किया जा रहा है । सदस्यों का प्रशिक्षण तथा विद्यालय-स्तर पर अतिरिक्त साधन की व्यवस्था की गयी है । आम जन भी विद्यालय शिक्षा समिति का सहयोग कर सकते हैं तथा गुणवत्ता सुधारने मे अपना योगदान दे सकते हैं ।

ऊपर वर्णित ठोस पहलों के आधार पर मिशन गुणवत्ता अभियान को सफल बनाने की संभावनाएँ बढ़ी हैं । शिक्षा विभाग इस स्थिति में है कि निर्धारित किये गये प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करा सके । इस संदर्भ में मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत निम्निलखित लक्ष्यों एवं प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन होगा :

<u>लक्ष्य –</u>

मिशन गुणवत्ता का मुख्य लक्ष्य :

"राज्य के प्राथमिक शालाओं में नामांकित प्रत्येक बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति सुनिश्चित करना"।

राज्य के विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को यदि ध्यान में रखा जाए तो यह तय है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध रूप से केन्द्रित होकर एक लम्बी अवधि तक के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होगी. यह अवधि तब तक के लिए तय की जाएगी जबतक कि

विद्यालय एवं शिक्षक स्वयं इस कार्य को करने के लिए सक्षम न हो जाएँ और बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप दक्षता प्राप्त करते हुए आगे न बढ़ने लगें.

मिशन गुणवत्ता के लिए लक्ष्य का निर्धारण निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया गया है :

१. योजना कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों पर केन्द्रित होगी. शेष कक्षाओं के बच्चों पर भी सामान रूप से ध्यान दिया जाएगा।
२. प्रथमतः यह कम-से-कम 5 वर्षों की योजना होगी. 5 वर्षों के बाद इसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।
३. प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के भाषा एवं गणित सीखने पर विशेष बल दिया जाएगा।
४. प्रत्येक कक्षा के बच्चे जब भाषा एवं गणित की अपनी कक्षा के लिए निर्धारित दक्षता प्राप्त कर लेंगे तब आगे उनके अन्य विषयों के सीखने पर बल दिया जाएगा।
५. मिशन के प्रारंभिक वर्ष 2013-14 में कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 2 की भाषा एवं गणित की दक्षता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
६. कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों के लिए 2013-14 के प्रारंभ से ही अपनी कक्षा के अनुरूप भाषा एवं गणित की दक्षता सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
७. मिशन के लिए लक्ष्य का निर्धारण अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग किया जाएगा जो पूर्व वर्ष में बच्चों की हुई प्रगति पर आधारित होगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मिशन गुणवत्ता के लिए वर्ष 2013-14 का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :

<u>लक्ष्य 2013-14</u>

कक्षा - 5

(1) प्रत्येक बच्चे में कहानी एवं छोटे गद्यांश समझ कर पढ़ने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(2) प्रत्येक बच्चे में अपनी बातों को सरल तरीके से लिख कर अभिव्यक्त करने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(3) प्रत्येक बच्चे में हासिल के साथ जोड़ एवं घटाव करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

(4) प्रत्येक बच्चे में भाग करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

कक्षा - 4

(1) 75 प्रतिशत बच्चों में कहानी एवं छोटे गद्यांश समझ कर पढ़ने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(2) 75 प्रतिशत बच्चों में अपनी बातों को सरल तरीके से लिख कर अभिव्यक्त करने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(3) 75 प्रतिशत बच्चों में हासिल के साथ जोड़-घटाव करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

(4) 75 प्रतिशत बच्चों में भाग करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

कक्षा - 3

(1) 50 प्रतिशत बच्च्चों में कहानी एवं छोटे गद्यांश समझ कर पढ़ने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(2) 50 प्रतिशत बच्चों में अपनी बातों को सरल तरीके से लिख कर अभिव्यक्त करने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(3) 50 प्रतिशत बच्चों में हासिल के साथ जोड़-घटाव करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

(4) ५० प्रतिशत बच्चे में भाग करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

कक्षा - 2

(1) सुनने एवं बोलने की पूर्ण कुशलता सुनिश्चित करना।

(2) सुनकर समझने एवं सहजता से बिना झिझक अपनी बातों को बोलने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(3) सभी संयुक्ताक्षरों की पहचान एवं लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(4) अक्षर एवं मात्रा की पहचान एवं लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(5) मात्रा एवं संयुक्ताक्षरों के साथ सरल वाक्य, सरल एवं छोटी कहानी समझ कर पढ़ने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(6) बिना मात्रावाले, मात्रावाले शब्दों एवं वाक्यों के लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(7) 100 तक की संख्याओं को पहचानना, बोलना एवं लिखने की दक्षता सुनिश्चित करना।

(8) 100 तक की संख्याओं के बढ़ते एवं घटते क्रम की जानकारी की दक्षता सुनिश्चित करना।

(9) संख्यायों के स्थानीय मान की समझ सुनिश्चित करना।

(10) बिना हासिल के दो अंकों की संख्याओं के जोड़ने एवं घटा करने की दक्षता सुनिश्चित करना।

कक्षा - 1

(1) सुनने एवं बोलने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(2) सुनकर समझने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(3) वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानने एवं लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(4) बिना मात्रावाले शब्दों को पढ़ने एवं लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(5) मात्रावाले छोटे-छोटे शब्दों को पढ़ने एवं लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(6) मात्रावाले छोटे छोटे शब्दों को देखकर एवं सुनकर लिखने की कुशलता सुनिश्चित करना।

(7) १ से १०० तक की संख्याओं को पढ़ने, बोलने एवं लिखने तथा उनके बढ़ते एवं घटते क्रम की दक्षता सुनिश्चित करना।

(8) जोड़ एवं घटा की समझ सुनिश्चित करना।

(उपरोक्त निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम है जिसे प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप और ऊपर की भी दक्षता प्रापत कर सकते हैं उन्हें रोका नहीं जायेगा)

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन के उपरांत आगे के वर्षों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।

८. लक्ष्य-निर्धारण में यह ध्यान रखा गया है कि कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण उनकी कक्षा की भाषा एवं गणित की निर्धारित दक्षता यानी पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जाए जिससे वे अपनी कक्षा की निर्धारित दक्षता प्राप्त करते हुए आगे की कक्षाओं में जाएँ।

९. लक्ष्य-निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा गया है की इसकी प्रगति को मापा जा सके यानी इसे बच्चों के लिए तैयार किये गए प्रगति-पत्रक में निर्धारित दक्षताओं के साथ समन्वित करने का प्रयास किया गया है।

१०. प्रारंभ के एक दो वर्षों में कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों की प्रगति को प्रगति पत्रक के उनुरूप मापना भले ही संभव न हो सके लेकिन कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों की प्रगति का मापन प्रगति-पत्रक के उनुरूप हो सकेगा ओर आगे के वर्षों में कक्षा 4 एवं 5 के बच्चों की प्रगति का मापन भी प्रगति पत्रक के उनुरूप हो सकेगा।

११. कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण कक्षा 2 की भाषा एवं गणित की दक्षता के अनुरूप किया गया है जिससे की कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को प्रथमतः कक्षा 2 की दक्षता सुनिश्चित की जा सके एवं आगे के वर्षों में उन्हें उनकी कक्षा के उनुरूप दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सके।

१२. वर्त्तमान में मात्र 2013 - 14 के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।

१३. आगे के वर्षों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण पूर्ववर्ती वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति के आकलन करने के बाद किया जाएगा।

१४. प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का आकलन अकादमिक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

१५. इसके अतिरिक्त बच्चों की दक्षता का मूल्यांकन उनके लिए तैयार प्रगति-पत्रक के आधार पर प्रत्येक क्वार्टर में किया जाएगा एवं अभिभावकों को बच्चों के प्रगति की जानकारी दी जायेगी।

१६. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के प्रत्येक बच्चे की दक्षता की जाँच की जाएगी एवं उसके आधार पर कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को अपनी कक्षा में ही अलग-अलग समूहों में तथा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों को एक साथ अलग-अलग समूहों में उनकी दक्षता के अनुरूप बाँट कर कार्य किया जाएगा।

<u>लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित रणनीति</u> :

मिशन गुणवत्ता के लिए लक्ष्य का निर्धारण शिक्षाशास्त्र के इस सिद्धान्त के आलोक में किया गया है कि कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के बच्चे प्रारम्भिक वर्ष से ही अपनी कक्षा के अनुरूप भाषा एवं गणित की दक्षता प्राप्त कर लें। आगे की कक्षाओं में वे इस तरह तैयार होकर जाएँ कि उनको आगे की कक्षा के अनुरूप दक्षता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और अगर कुछ बच्चों को हो भी तो उसका निराकरण कक्षा में ही संभव हो जाय।

कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर किया गया है कि प्रारम्भ के एक या दो वर्षों में इन कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को कम-से-कम कक्षा 2 तक की भाषा एवं गणित की दक्षता अवश्य सुनिश्चित हो जाय जिसके आधार पर आगे के वर्षों में इन कक्षाओं के बच्चों को अपनी कक्षा के अनुरूप दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रकार के लक्ष्य-निर्धारण के पीछे राज्य की मंशा है कि प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा 1 एवं कक्षा 2) के बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप दक्षता प्राप्त कर एक मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ें और ऊपर की कक्षाओं (कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 5) के पिछड़नेवाले बच्चे इस तरह से तैयार हों कि वे भी आगे चलकर अपनी कक्षा के अनुरूप दक्षता को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

निर्धारित लक्ष्य की निर्धारित समय में प्राप्ति हो, इसमें वैसे तो राज्य के हर स्तर के पदाधिकारियों एवं शिक्षा से जुड़े कर्मियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक, संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् से जुड़े अध्यापक शिक्षकों एवं प्रशिक्षु शिक्षकों की होगी।

लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम के जिला-स्तर पर क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णरूपेण जवाबदेह पदाधिकारी होंगे जिनके द्वारा अपने जिला के संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण, बच्चों के दक्षता-आकलन से संबंधित कार्य की कार्य-योजना तैयार की जाएगी एवं इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस कार्य हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

राज्य-स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे जिनके द्वारा कार्यक्रम से संबंधित योजना का निर्माण एवं इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक रणनीति तय की जाएगी।

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् इस कार्य के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् से आवश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक, संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों के सहयोग से विद्यालय के शिक्षक के द्वारा किया जाएगा।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की देख-रेख में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा।

कार्यक्रम के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जवाबदेही शिक्षा विभाग के हर स्तर : प्रखंड से लेकर राज्य-स्तर तक के प्रशासनिक पदाधिकारियों की होगी।

कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सुनिश्चित हो इस हेतु शिक्षा से जुड़े हर स्तर के पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षकों एवं अध्यापक शिक्षकों के लिए कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है जिसके आलोक में वे अपने दायित्वों का निर्वहन कार्यक्रम की सफलता हेतु करेंगे।

मिशन गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर हो इस हेतु निम्न रणनीति अपनाई जाएगी :

<u>दक्षता-आकलन</u> :

1. प्रथमतः राज्य के प्रत्येक विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के प्रत्येक बच्चे की भाषा एवं गणित की दक्षता की जाँच उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जाँच-पत्रक (Testing tool) विकसित कर, की जाएगी।
2. कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों की दक्षता जाँच हेतु अलग-अलग जाँच-पत्रक (Testing tool) विकसित किये जाएँगे जो उनकी कक्षा के लिए निर्धारित दक्षता के अनुरूप होंगे। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए एक तरह का जाँच-पत्रक (Testing tool) विकसित किया जाएगा जो कक्षा 2 की दक्षता आधारित निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप होगा।
3. बच्चों की दक्षता की जाँच विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा प्रधानाध्यापक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक की देख-रेख में की जाएगी।
4. बच्चों की दक्षता-जाँच पूरे राज्य के पैमाने पर एक निश्चित समयावधि निर्धारित कर की जाएगी जिसमें हर स्तर के पदाधिकारियों, कर्मियों, अध्यापक शिक्षकों एवं प्रशिक्षु शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। समयावधि का निर्धारण नीचे की कंडिका में किया गया है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य स्तर से ही किया जा सकता है।
5. जाँच-पत्रक विकसित करने, बच्चों की दक्षता-जाँच हेतु उसका बेहतर उपयोग करने, बच्चों के लिए कक्षानुरूप दक्षता की जानकारी देने के लिए, प्रथमतः सभी संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, जिला शिक्षा पदाधिकारी के सहयोग से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाएगा।
6. इस पूरे कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होगी इसलिए संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को भी सम्मिलित किया जाएगा।
7. जिस जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित या कार्यरत नहीं है उस जिला में यह कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्वयं के स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

8. मिशन गुणवत्ता की सफलता मुख्य रूप से बच्चों की दक्षता के सही आकलन पर निर्भर करेगा इसलिए जाँच-पत्रक विकसित करने, दक्षता-जाँच में जाँच-पत्रक का बेहतर उपयोग करने आदि से संबंधित प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
9. तीन दिवसीय प्रशिक्षण में प्रथम दिन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें जाँच-पत्रक (Testing tool) विकसित करने एवं उसका छात्रों के साथ उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे दिन सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में विकसित जाँच-पत्रक (Testing tool) को लेकर विद्यालय में जाएँगे एवं उसका उपयोग छात्रों के साथ करेंगे।
10. प्रशिक्षण के तीसरे दिन विद्यालय में जाँच-पत्रक (Testing tool) के उपयोग एवं इसकी सार्थकता को लेकर आपस में चर्चा कर प्रशिक्षक के सहयोग से जाँच-पत्रक (Testing tool) को टीक करेंगे।
11. जाँच-पत्रक (Testing tool) विकसित करने एवं इसके उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा अध्यापक शिक्षकों, संसाधन शिक्षकों एवं सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा तथा इसको अन्तिम रूप देने से पूर्व इसका स्थलीय परीक्षण भी कर लिया जाएगा।
12. कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों की दक्षता की जाँच हेतु जाँच-पत्रक विकसित करने एवं उसके उपयोग पर विशेष रूप से सावधानी बरती जाएगी जिससे कि बच्चों की दक्षता का आकलन सही रूप से हो सके।
13. सभी प्रशिक्षित संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा अपने संकुल के सभी शिक्षकों का जाँच-पत्रक (Testing tool) निर्माण एवं इसका छात्रों के साथ उपयोग से संबंधित दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
14. प्रशिक्षण अधिकतम, 25-30 की संख्या में अलग-अलग बैचों में किया जाएगा।
15. शिक्षकों का प्रशिक्षण संकुल संसाधन केन्द्र में आयोजित किया जाएगा।
16. दक्षता-आकलन संबंधी प्रशिक्षण की समाप्ति के साथ ही निर्धारित समयावधि के अन्दर राज्य के सभी विद्यालयों के सभी बच्चों के दक्षता का आकलन विद्यालय के शिक्षक के द्वारा किया जाएगा।
17. दक्षता-आकलन हेतु निर्धारित समयावधि के आलोक में दक्षता आकलन से संबंधित योजना का निर्माण जिला-स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस कार्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सहयोग प्राप्त करेंगे।
18. बच्चों की दक्षता-आकलन के साथ ही कक्षावार प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल भाषा और गणित के लिए अलग-अलग, शिक्षक के द्वारा तैयार की जाएगी। बच्चों की प्रोफाइल चार्ट पेपर एवं रजिस्टर दोनों पर तैयार की जाएगी। चार्ट पेपर पर तैयार प्रोफाइल को कक्षा में सभी के अवलोकन के लिए चिपका कर रखा जाएगा।

19. बच्चों की प्रोफाइल तैयार करने एवं इसे कक्षावार प्रदर्शित कराने की जिम्मेवारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रधानशिक्षक एवं संकुल-स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक की होगी।
20. दक्षता जाँच के आधार पर बच्चों की दक्षता का प्रथम आकलन उनके लिए विकसित छात्र प्रगति-पत्रक में भी किया जाएगा ओर इससे उनके अभिभावक को अवगत कराया जाएगा।

दक्षता-प्राप्ति

दक्षता-आकलन के साथ ही बच्चों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप दक्षता सुनिश्चित कराने का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। लक्ष्य अनुरूप कक्षा के हर बच्चे को निर्धारित दक्षता, निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सुनिश्चित हो इस हेतु निम्न कार्य किये जाएँगे :

1. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का प्रशिक्षण :

दक्षता-आकलन के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य होगा -

(1) दक्षता-आधारित एक तरह की दक्षता रखनेवाले बच्चों का समूह-निर्माण,
(2) इनके लिए कक्षा संचालन हेतु अलग से समयावधि एवं समूहवार शिक्षकों के जिम्मेवारी का निर्धारण।
(3) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कक्षा का संचालन।

उपर्युक्त निर्धारित कार्य बेहतर रूप से विद्यालयों में संचालित हों इस हेतु संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं विद्यालय के शिक्षकों को बेहतर रूप से तैयार किया जाना आवश्यक है।

संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा तथा वे अपने संकुल के सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम के संचालन, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने एवं इसके नियमित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के लिये जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे। इसलिए आवश्यक है कि संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को इस कार्य के लिये बेहतर रूप से तैयार किया जाए। संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का प्रशिक्षण निम्नवत् होगाः

a. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा जिसमें बच्चों के समूह-निर्माण, कक्षा-संचालन से संबंधित प्रक्रियात्मक जानकारी एवं लक्ष्य-अनुरूप बच्चों की भाषा एवं गणित के शिक्षण की प्रक्रिया, बच्चों की भाषा एवं गणित सीखने की प्रक्रिया एवं सीखने के लिए उपयोग में लाई जानेवाली शिक्षण अधिगम सामग्री आदि के निर्माण से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
b. प्रशिक्षण, पूर्व से विकसित प्रशिक्षण संदर्शिका आधारित होगा।
c. प्रशिक्षण-संदर्शिका का निर्माण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन एवं प्रथम स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से किया जाएगा जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापक शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

d. संदर्शिका निर्माण के बाद इसका परीक्षण भी कर लिया जाएगा जिससे कि इसमें स्पष्टता रहे।

e. संदर्शिका का निर्माण इस रूप में किया जाएगा जिससे संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं शिक्षकों के कार्य के दौरान भी यह मार्गदर्शन का कार्य कर सके।

f. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा आयोजित किया जाएगा एवं इसके आयोजन की योजना राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा जिलावार तैयार की जाएगी।

g. जिन जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं हैं या कार्यरत अवस्था में नहीं हैं उन जिलों में प्रशिक्षण की जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

h. मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :

I. प्रशिक्षण-संदर्शिका को अन्तिम रूप देने के साथ ही राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन एवं प्रथम के सहयोग से ही मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

II. मुख्य प्रशिक्षक के रूप में संदर्शिका निर्माण में सम्मिलित अध्यापक शिक्षकों तथा संसाधन समूह के शिक्षकों को अवश्य सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता आधारित अन्य अध्यापक शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

III. मुख्य प्रशिक्षक के रूप में मूलतः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापक शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। आवश्यकतानुरूप इसमें संसाधन समूह के शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

IV. वैसे जिले जहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है अथावा कार्यरत नहीं हैं उन जिलों में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में संसाधन समूह के शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा।

V. मुख्य प्रशिक्षक का प्रशिक्षण ७ दिवसीय होगा जिसके लिए प्रशिक्षण-संदर्शिका का निर्माण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन एवं प्रथम के सहयोग से किया जाएगा।

VI. मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका उन्हीं के द्वारा अदा की जाएगी जिनकी भूमिका इनके संदर्शिका निर्माण में रही है। इसके लिए अलग से प्रशिक्षक के रूप में किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

VII. मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में भी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं का समावेश रहेगा जिसके लिए अवधि का निर्धारण संदर्शिका में ही किया हुआ रहेगा।

VIII. प्रत्येक जिला के लिए मुख्य प्रशिक्षकों की संख्या का निर्धारण उस जिला के संकुलों की संख्या के आधार पर प्रत्येक 20 संकुल के लिए दो मुख्य

प्रशिक्षक की गणना के आधार पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा की जाएगी एवं उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा।

IX. प्रशिक्षण आयोजन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या 20-25 से अधिक नहीं हो।

X. मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

XI. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण के दौरान मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षक के द्वारा अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य किया जाएगा।

XII. मुख्य प्रशिक्षकों के कौन से प्रशिक्षक संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के किस प्रशिक्षण-केन्द्र के लिए अनुश्रवक एवं अनुसमर्थक का कार्य करेंगे इसका निर्धारण एवं इससे संबंधित योजना का निर्माण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व ही कर लिया जाएगा।

i. मुख्य प्रशिक्षकों के द्वारा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

j. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का प्रशिक्षण, मुख्य प्रशिक्षक एवं स्थल की उपलब्धता के अनुसार एक ही समय में एक से अधिक बैचों में किया जा सकता है लेकिन प्रत्येक बैच में प्रतिभागियों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

k. यह प्रशिक्षण भी पूर्णतः आवासीय होगा।

l. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष दोनों सम्मिलित होंगे। व्यावहारिक पक्ष दो दिनों का होगा जिसमें संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, प्रशिक्षण में विकसित अपनी सैद्धान्तिक समझ को व्यवहारिक कसौटी पर परखेंगे एवं उसमें आनेवाली कठिनाइयों का निराकरण प्रशिक्षण के दरम्यान ही अपने प्रशिक्षक के साथ मिलकर करेंगे।

m. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण से संबंधित योजना का निर्माण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ मिलकर किया जाएगा एवं उसके अनुरूप प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

n. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का प्रशिक्षण प्रखंडवार आयोजित किया जाएगा, यानी एक प्रखंड के सभी संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का प्रशिक्षण एक साथ एक बैच में किया जाएगा और इसमें प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक भी सम्मिलित होंगे।

o. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण के लिए जिला में अवस्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के अध्यापक शिक्षकों एवं स्थल का उपयोग प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया जा सकेगा।

p. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक 15 दिनों तक विद्यालय में बच्चों के साथ कार्य करेंगे और इससे अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे।

संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के द्वारा प्रशिक्षण के बाद विद्यालय में किये जानेवाले कार्य :

सभी संकुल संसाधन केन्द्र तथा प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक प्रशिक्षण की समाप्ति के साथ ही 15 दिनों के लिए विद्यालय में बच्चों के साथ कार्य करने के लिए भेजे जाएँगे। इस हेतु योजना-निर्माण निम्नवत् किया जाएगाः

I. संकुल संसाधन केन्द्र एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण के दरम्यान ही प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रखंड, में समन्वयकों की संख्या के अनुरूप विद्यालयों का चयन, 5 समन्वयक प्रति विद्यालय की दर से किया जाएगा।

II. तात्पर्य यह कि एक विद्यालय में बच्चों के साथ 15 दिनों तक कार्य करने के लिए 5 संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के समूह को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

III. विद्यालय के चयन के साथ ही प्रत्येक विद्यालय के लिए 5 संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के समूह को एक विद्यालय में 15 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

IV. प्रतिनियुक्ति प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा की जाएगी। जिस जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान नहीं हैं या कार्यरत नहीं है, उस जिला में यह कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

V. प्रशिक्षण की समाप्ति के साथ ही सभी संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक अपने निर्धारित विद्यालय में 15 दिनों तक कार्य करेंगे।

VI. कार्य के दरम्यान यदि संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से मिलकर उसका निराकरण करेंगे।

VII. संकुल संसाधन केन्द्र एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा विद्यालय में निम्न कार्य किये जाएँगे :

1. कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों की भाषा एवं गणित की दक्षता के आधार पर अलग-अलग समूहों का निर्माण।
2. समूह का निर्माण निम्नवत् किया जा सकेगा-

भाषा -

⇒ अक्षर पहचानने/पढ़ने/लिखनेवाले तथा उसके नीचे के बच्चे,

⇒ शब्द एवं वाक्य पहचानने/पढ़ने/लिखनेवाले बच्चे,

⇒ गद्यांश एवं कहानी समझकर पढ़ने/लिखनेवाले बच्चे।

गणित -

⇒ 1 से 100 तक की संख्या पहचानने/पढ़ने/लिखने तथा समझ स्खनेवाले तथा उसके नीचे के बच्चे,

⇒ 1 से 100 तक की संख्याओं का हासिल एवं बिना हासिल के जोड़ एवं घटाव करनेवाले तथा उसके नीचे के बच्चे,

⇒ हासिल एवं बिना हासिल के साथ गुणा एवं भाग करनेवाले बच्चे।

बच्चों के इस प्रकार के समूह को सिम्बल के रूप में यथा A समूह, B समूह एवं C समूह के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

3. कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का समूह निर्माण भी इसी तरह किया जाएगा लेकिन उनका समूह कक्षावार ही होगा।

(यदि एक समूह का बच्चा उस समूह की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो उसे आगे के समूह में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार बच्चे नीचे के समूह की निर्धारित दक्षता प्राप्त करते हुए आगे के समूह में जायंगे। नीचे के समूह में बच्चों की संख्या इस प्रकार कम से कमतर होती जाएगी।)

4. प्रत्येक समूह के बच्चों के साथ 15 दिनों तक कार्य करने हेतु संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकवार समूह की जिम्मेवारी का निर्धारण।

5. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकवार समूह के शिक्षण हेतु जिम्मेवारी का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा -

⇒ भाषा एवं गणित के एक-एक समूह के लिए एक संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक जिम्मेवार होंगे।

⇒ समूहवार जिम्मेवारी का निर्धारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

⇒ कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों के लिए भी एक-एक संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को जिम्मेवारी दी जाएगी।

6. कक्षा संचालन हेतु समय एवं स्थल का निर्धारण।

7. समय का निर्धारण, प्रधानाध्यापक की सहमति से किया जाएगा। यह विद्यालय अवधि में मध्याहन भोजन के बाद का होगा और भाषा एवं गणित के लिए अलग-अलग एवं एक-एक घंटे का होगा।

8. भाषा एवं गणित के लिए समूहवार कक्षा संचालन की अवधि में अन्य कक्षाएँ यथाः कक्षा ६, ७ एवं ८ की कक्षाएँ अपनी निर्धारित समयावधि एवं कक्षा में संचालित होती रहेंगी।
9. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों को कक्षा संचालन में समयावधि एवं स्थल तथा अन्य आवश्यकता को लेकर कड़िनाई आ सकती है जिसका निराकरण वे प्रधानाध्यापक से मिलकर करेंगे। आवश्यकता होने पर निराकरण के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उनके माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी संपर्क एवं समन्वय किया जा सकता है।
10. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा समूहवार कक्षा संचालन में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाएगा-
    - ⇒ प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक अपने समूह के बच्चों के लिए एक अलग पंजी तैयार करेंगे जिसपर प्रत्येक बच्चे की दक्षता अंकित होगी।
    - ⇒ पंजी के अतिरिक्त समूहवार बच्चों का नाम एवं उनकी दक्षता एक चार्ट पेपर पर भी तैयार किया जाएगा जो कक्षा में चिपकाया जाएगा जिससे कि कक्षा संचालन में प्रत्येक बच्चे की दक्षता के अनुरूप उनपर ध्यान दिया जा सके।
11. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक 15 दिनों तक लगातार अपने समूह के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे और 15 दिनों के बाद देखेंगे कि उनके समूह के प्रत्येक बच्चे की दक्षता में क्या परिवर्तन हुआ।
12. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा अपने समूह के बच्चों के साथ शिक्षण का कार्य करने के दरम्यान विद्यालय के शिक्षकों के साथ बातचीत कर अपने शिक्षण कार्य में उन्हें बच्चों की दक्षता का ध्यान रखने, उसके अनुरूप उनके लिए शिक्षण कार्य करने तथा उनके द्वारा किये जा रहे शिक्षण कार्य से समन्वय करने के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा।
13. 15 दिनों की शिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, अपने समूह के प्रत्येक बच्चे की प्रारम्भिक दक्षता एवं उनके द्वारा 15 दिनों तक शिक्षण कार्य करने बाद उनकी दक्षता में हुई प्रगति की जानकारी के साथ एक प्रतिवेदन प्रधानाध्यापक को देंगे और उनसे इस कार्य को अपने विद्यालय में निरंतरता में जारी रखने का आग्रह भी करेंगे।
14. प्रधानाध्यापक के द्वारा इस कार्य को निरंतरता में विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से जारी रखा जाएगा।

15. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के प्रशिक्षण एवं उनके द्वारा विद्यालय में किये जानेवाले कार्यों को अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन निम्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा -

⇒ अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन के पदाधिकारी

⇒ प्रथम स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी

⇒ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक शिक्षक

⇒ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

⇒ मुख्य प्रशिक्षक के प्रशिक्षक एवं मुख्य प्रशिक्षक

शिक्षकों का प्रशिक्षणः

प्रारम्भिक तैयारी -

A. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के प्रशिक्षण की समाप्ति एवं विद्यालय में उनकी प्रतिनियुक्ति के दरम्यान प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी।

⇒ जिस जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यशील हैं, उस जिला में बैठक प्राचार्य के द्वारा बुलाई जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में की जाएगी।

⇒ जिस जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नहीं है या कार्यशील नहीं है यथा : जहानाबाद, अरवल, पूर्णियाँ, मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, में बैठक बुलाने की जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

⇒ राज्य सरकार अथवा राज्य परियोजना निदेशक के स्तर से एक आदेश निर्गत करने की आवश्यकता होगी कि प्राचार्य द्वारा बुलाई गई बैठक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे।

⇒ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा बैठक में अपने जिला के सभी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

⇒ बैठक में प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा महाविद्यालय का स्वयं भाग लेना आवश्यक होगा।

⇒ बैठक में अजीम प्रेमजी फउन्डेशन के प्रतिनिधि एवं प्रथम स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाएगा।

B. बैठक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड के विद्यालयवार पदस्थापित शिक्षकों की नामवार सूचना एवं कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए निर्धारित

शिक्षकों के नामों की सूचना के साथ (सूचना soft copy में भी उपलब्ध कराई जाएगी) भाग लेंगे।

C. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निम्न प्रपत्र में सूचना लाई जाएगी :
प्रखंड का नामः
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नामः

विद्यालय का नाम	वर्गकक्ष की संख्या	पदस्थापित शिक्षकों का नाम	कक्षा 1 के लिए नामित शिक्षक का नाम	कक्षा 2 के लिए नामित शिक्षक का नाम	अभ्युक्ति
		1. 2.			

D. बैठक में प्रखंडवार एवं संकुलवार शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना तैयार की जाएगी।

E. प्रशिक्षण की योजना तैयार करने में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा-

⇒ कक्षा 3, 4 एवं 5 के बच्चों के शिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय से तीन-तीन शिक्षकों का चयन किया जाएगा जो प्रशिक्षण में भाग लेंगे एवं भाषा एवं गणित के बच्चों के एक समूह के लिए जवाबदेह होंगे।

⇒ इस समूह के शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग से एवं कक्षा 1 एवं 2 के लिए नामित शिक्षकों के अलग से प्रशिक्षण की योजना तैयार की जाएगी।

⇒ प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को नामित करने में यह ध्यान रखा जाएगा कि उन्हीं शिक्षकों को रखा जाए जो पूर्व में बच्चों की दक्षता जाँच का प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्षता जाँच का कार्य किये हैं।

⇒ प्रशिक्षण हेतु राशि एवं सामग्री आदि की व्यवस्था तथा तिथि का निर्धारण, प्रशिक्षण के पूर्व ही कर लिया जाएगा।

⇒ प्रखंड में शिक्षकों का प्रशिक्षण बिना व्यवधान के बेहतर रूप में संचालित हो एवं अन्य कार्य समयानंसार संचालित हो, इस हेतु प्रत्येक प्रखंड के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

⇒ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रत्येक प्रखंड के लिए एक अध्यापक शिक्षक को प्रभारी बनाया जाएगा जिसको मानना अध्यापक शिक्षक के लिए एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य के लिए आवश्यक होगा।

⇒ अध्यापक शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में संसाधन समूह के शिक्षक को प्रखंड की जिम्मेवारी दी जा सकती है।

⇒ जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 5 या इससे अधिक होगी उस विद्यालय में बच्चों के भाषा एवं गणित सीखने के इस अभियान का संचालन शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा।

⇒ 5 से कम शिक्षक की संख्यावाले विद्यालय में बाहर से सहयोगी संस्था के माध्यम से स्वयंसेवक को भी रखा जा सकता है।

⇒ स्वयंसेवक के रूप में उत्थान केन्द्र अथवा तालीमी मरकज केन्द्र के स्वयंसेवकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

⇒ बाहर से स्वयंसेवक रखे जाने की स्थिति में उनके लिए मानदेय तय किया जा सकता है। इस हेतु प्रस्ताव राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा राज्य परियोजना निदेशक को उपस्थापित किया जाएगा।

⇒ आवश्यकता होने पर प्रारम्भिक तैयारी हेतु एक से अधिक बैठक की जा सकती है।

⇒ प्रारम्भिक तैयारी के क्रम में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसे संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के 15 दिवसीय कक्षा संचालन की समाप्ति के पूर्व हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

⇒ संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा 15 दिवसीय विद्यालय शिक्षण कार्य पूर्ण करने के दूसरे दिन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा 40 से 50 के बैच में इनकी एक बैठक की जाएगी।

⇒ बैठक में इनके प्रशिक्षकों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

⇒ बैठक में वर्ग-कक्ष संचालन के दरम्यान आयी कठिनाइयों पर चर्चा की जाएगी एवं उनका निराकरण किया जाएगा।

⇒ बैठक में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की जाएगी।

प्रशिक्षण :

F. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों के समस्या समाधान बैठक आयोजन के तुरंत बाद यानी दूसरे दिन से ही संकुलवार शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

G. शिक्षकों के प्रशिक्षण में निम्न तथ्यों पर ध्यान रखा जाएगा-

⇒ प्रशिक्षण तीन दिवसीय होगा।

⇒ प्रशिक्षण कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों के लिए चयनित/नामित शिक्षकों के लिए अलग एवं कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए नामित शिक्षकों के लिए अलग कराया जाएगा।

⇒ प्रशिक्षण गैरआवासीय होगा।

⇒ प्रशिक्षण 20-25 शिक्षकों के बैच में कराया जाएगा।

⇒ प्रत्येक बैच के लिए दो प्रशिक्षक होंगे जिनमें एक संकुल समन्वयक होंगे एवं दूसरे प्रशिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक या अध्यापक शिक्षक में से एक होंगे।

⇒ प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष दोनों सम्मिलित होंगे।

⇒ सैद्धान्तिक पक्ष दो दिनों का एवं व्यावहारिक पक्ष एक दिन का होगा।

⇒ प्रशिक्षण प्रशिक्षण संदर्शिका आधारित होगा जिसका निर्माण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के निर्देशन में किया जाएगा।

⇒ प्रशिक्षण का नियमित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के प्रशिक्षक, मुख्य प्रशिक्षक, अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन तथा प्रथम संस्था के वैसे सदस्य जो प्रारम्भ से इस कार्य से जुड़े होंगे, के द्वारा किया जाएगा।

⇒ प्रशिक्षण का नियमित पर्यवेक्षण प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, अध्यापक शिक्षक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

⇒ प्रशिक्षण के बेहतर आयोजन एवं संचालन हेतु प्रखंड स्तर पर गठित समिति पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी।

विद्यालय में शिक्षण :

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यालय में बच्चों का शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। शिक्षण कार्य में उन सभी कार्यों को किया जाएगा जो संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के 15 दिवसीय विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए ऊपर में प्रस्तावित किये गये हैं।

शिक्षण-कार्य प्रारम्भ करने में निम्न तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा -

- ✓ प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु योजना का निर्माण।
- ✓ विद्यालय में कक्षावार पूर्व में हुए बच्चों की दक्षता जाँच के आधार पर बच्चों के समूह का निर्माण एवं उनका पंजी एवं चार्ट पेपर तथा छात्र प्रगति-पत्रक पर संधारण।
- ✓ विद्यालय में बच्चों के अभिभावक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के साथ बैठक कर बच्चों की दक्षता की जानकारी एवं उनके लिए प्रारम्भ किये जा रहे कार्यों की जानकारी देना।
- ✓ अभिभावक से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का आग्रह करना।
- ✓ बच्चों के माहवार प्रगति को पंजी एवं चार्ट पेपर पर दर्ज किया जाना एवं प्रत्येक माह अभिभावक की बैठक बुलाकर बच्चों की प्रगति की जानकारी देना।

- ✓ बच्चों के भाषा शिक्षण पर विशेष बल देना।
- ✓ बच्चों के इस विशेष शिक्षण कार्य को बच्चों के नियमित वर्गकक्ष शिक्षण से जोड़ना।
- ✓ बच्चों के लिए कक्षावार भाषा एवं गणित के निर्धारित लक्ष्यों की स्पष्ट समझ रखना एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इनको एकबार अवश्य पढ़ना।
- ✓ शिक्षण में आनेवाली कठिनाइयों का संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के साथ मासिक गोष्ठी में निराकरण करना।

शिक्षकों एवं संकुल समन्वयक का अवकाश एवं उसकी प्रतिस्थानी व्यवस्था :

यह कार्यक्रम बिना व्यवधान संचालित हो इसके लिए इस कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के अवकाश पर नियंत्रण रखा जाना तथा उनके अवकाश पर जाने की स्थिति में उनके प्रतिस्थानी की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

बेहतर नियंत्रण हेतु निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा :

1. कार्यक्रम से जुड़े हुए किसी भी शिक्षक का अवकाश बिना संबंधित संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहमति से नहीं स्वीकृत किया जाएगा।
2. शिक्षक की अवकाश स्वीकृति की स्थिति में संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा उस विद्यालय में उस शिक्षक के प्रतिस्थानी को बिना विलंब भेजा जाएगा।
3. इस हेतु प्रत्येक संकुल में कम-से-कम 5 एवं अधिकतम 10 शिक्षकों का एक अवकाशरक्षित शिक्षक समूह तैयार किया जाएगा।
4. कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों की भाँति ये भी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होंगे।
5. समान्य रूप से ये सभी शिक्षक अपने विद्यालय में कार्य करेंगे लेकिन संकुल के अन्दर किसी शिक्षक के अवकाश पर जाने पर ये शिक्षक अवकाश शिक्षक के प्रतिस्थानी के रूप में विद्यालय में संकुल समन्वयक के द्वारा भेजे जाएँगे।
6. इसी प्रकार संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के अवकाश पर जाने के बाद उसकी प्रतिस्थानी व्यवस्था हेतु प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्तर पर 10 से 20 शिक्षकों का एक अवकाशरक्षित शिक्षक समूह बनाया जाएगा।
7. ये शिक्षक प्रत्येक प्रखंड से 2 या तीन की संख्या में लिये जाएँगे और संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के साथ प्रशिक्षित हुए रहेंगे।
8. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की सहमति के बगैर किसी प्रकार के अवकाश पर नहीं जाएँगे।
9. प्राचार्य के द्वारा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का अवकाश स्वीकृत करने के साथ उसका प्रतिस्थानी उस संकुल के लिए भेजा जाएगा।

   (प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक मार्गदर्शिका में निहित समन्वयकों के अवकाश संबंधी निदेश कार्यक्रम संचालन की अवधि तक इस हद तक संशोधित माने जाएँगे)

10. समान्यतया संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के अवकाश पर जाने पर यथासंभव उस प्रखंड के किसी प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक को उस संकुल का कार्य प्रभार दिया जाएगा।
11. अधिक आवश्यकता होने पर ही अवकाश रक्षित शिक्षकों में से किसी शिक्षक को संकुल का दयित्व दिया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान समूह के बच्चों की नियमित उपस्थिति पर विशेष बल :

कार्यक्रम के संचालन के दरम्यान बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हों यह कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है।

प्रत्येक समूह का प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से उपस्थित हो यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समूह के प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी समूह के प्रभारी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की होगी।

बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्य किये जा सकते हैं :

1. समूह के अन्य बच्चों की मदद लेना,
2. बच्चे के अभिभावक से संपर्क करना,
3. अभिभावक की मासिक गोष्टी में अनुपस्थित रहनेवाले बच्चों की सूची प्रकाशित करना,
4. लगातार अनुपस्थित रहनेवाले बच्चों की माताओं की विद्यालय पर विशेष बैठक करना,
5. विद्यालय के साथ कार्य करनेवाले उत्थान केन्द्र स्वयंसेवक तथा तालीमी मरकज स्वयंसेवक से सहयोग लेना,
6. कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करना,
7. राज्य स्तर पर मंत्री एवं प्रधान सचिव के माध्यम से समाचार पत्रों एवं टेलिविजन, रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करना,
8. विद्यालय स्तर पर बच्चों की साप्ताहिक प्रभातफेरी निकालना,
9. पंचायत राज्य संस्था के प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करना,

(बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी निर्धारित करने के मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। जिस वार्ड या पंचायत के सभी बच्चे विद्यालय में उपस्थित होंगे उस वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि को प्रखंड स्तर पर तथा पंचायत प्रतिनिधि को जिला स्तर पर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया जा सकता है।)

अनुश्रवण, अनुसमर्थन एवं पर्यवेक्षण :

- विद्यालय में शिक्षण कार्य योजनाबद्ध ढंग से नियमित रूप से संचालित हो इसके लिए मुख्यतया विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक जिम्मेवार होंगे।
- संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक अपने संकुल के सभी विद्यालयों में शिक्षण-कार्य को प्रारम्भ कराने, इसका नियमित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करने के लिये जिम्मेवार होंगे।
- कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद इससे जुड़े शिक्षक का उपयोग किसी स्तर के पदाधिकारी के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- किसी विद्यालय में यदि किसी कारण से शिक्षण-कार्य निर्धारित समयावधि में प्रारम्भ नहीं होता है तो इसकी जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के माध्यम से प्रखंड स्तरीय समिति को दी जाएगी जो सूचना प्रप्ति के दो दिनों के अन्दर समस्या का निराकरण कर विद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रारम्भ करायेगी।
- विद्यालय शिक्षण कार्य का मुख्य रूप से अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा किया जाएगा।
- संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा अपने संकुल के सभी विद्यालयों का अनुश्रवण सप्ताह में कम-से-कम एकबार अवश्य किया जाएगा जिसमें उनके द्वारा कम-से-कम दो घंटा का समय विद्यालय में अवश्य दिया जाएगा।
- संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के अतिरिक्त अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक शिक्षक एवं प्राचार्य, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक शिक्षक, अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन एवं प्रथम स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।
- कार्यक्रम के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे।
- कार्यक्रम का पर्यवेक्षण राज्य स्तर से जिला स्तर तक शिक्षा से जुड़े हर पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
- राज्य स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जाए इस हेतु प्रत्येक पदाधिकारी के लिए जिला का आवंटन राज्य परियोजना निदेशक या राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा।
- जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जाए इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी के लिए प्रखंडों का आवंटन किया जाएगा।

ग्रीष्मावकाश में विशेष शिक्षण व्यवस्था (समर कैंप) :

2013-14 में कक्षा 5 के प्रत्येक बच्चे के द्वारा, कक्षा 4 के 75 प्रतिशत बच्चों के द्वारा एवं कक्षा 3 के 50 प्रतिशत बच्चों के द्वारा उनकी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्रप्ति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, इसलिए इन कक्षाओं के बच्चों के लिए ग्रीष्मावकाश की अवधि में विशेष शिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा।

विद्यालय में संचालित कार्यक्रम के अनुरूप ही ग्रीष्मावकाश विशेष शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।

इसमें बच्चे उनका समूह एवं उनके शिक्षक सभी पूर्ववत् रहेंगे और ग्रीष्मावकाश में भी कार्यक्रम बिना व्यवधान के निरंतरता में जारी रहेगा।

ग्रीष्मावकाश में कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को 1500 रु. का अतिरिक्त कार्य भत्ता देय होगा जिसकी व्यवस्था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा की जाएगी।

यह राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा ग्रीष्मावकाश के पूर्व ही सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा ग्रीष्मावकाश की समाप्ति के साथ ही राशि कार्यक्रम से जुड़े सभी शिक्षकों एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्थान केन्द्र स्वयंसेवक की भूमिका एवं उनका प्रशिक्षण :

महादलित समुदाय के 6-14 आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराने, उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं उन्हें विद्यालय अवधि के पूर्व एवं बाद में ट्यूशन पढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में उत्थान केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत महादलित समुदाय के हर गाँव/टोला पर या हर 30 से 40 बच्चे पर एक उत्थान केन्द्र स्वयंसेवक को रखा गया है। इस कार्यक्रम पर आनेवाले व्यय की व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से की जाती है।

मिशन गुणवत्ता के लक्ष्यों को उत्थान केन्द्र के लक्ष्यों के साथ समन्वित कर यदि देखा जाए तो स्पष्ट है कि उत्थान केन्द्र स्वयंसेवक मिशन गुणवत्ता के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं बशर्ते उन्हें इस कार्य के लिए तैयार किया जाए।

उत्थान केन्द्र स्वयंसेवक के द्वारा मिशन गुणवत्ता के कार्यों में निम्नवत् सहयोग किया जा सकता है :

1. महादलित समुदाय के प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने में।
2. महादलित समुदाय के बच्चों के द्वारा मिशन गुणवत्ता के निर्धारित लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति में।

उत्थान केन्द्र स्वयंसेवक मिशन गुणवत्ता के निर्धारित लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करें इसे सुनिश्चित करने के लिए उत्थान केन्द्र स्वयंसेवकों का मिशन गुणवत्ता के लक्ष्यों के अनुरूप भाषा एवं गणित शिक्षण के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

उत्थान केन्द्र स्वयंसेवकों का भाषा एवं गणित शिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नवत् की जाएगी -

A. प्रशिक्षण हेतु संदर्शिका का निर्माण एवं मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जाएगा।
B. प्रशिक्षण 10 दिनों का होगा एवं पाँच - पाँच दिनों के लिए एक माह के अन्तराल पर कराया जाएगा।
C. प्रथम 5 दिनों में कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए निर्धारित भाषा एवं गणित के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी संप्राप्ति के लिए कराया जाएगा।
D. दूसरे 5 दिनों में कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 5 के लिए भाषा एवं गणित के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कराया जाएगा।
E. प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उनके नेतृत्व में कराया जाएगा।
F. प्रशिक्षण 25 से 30 की संख्या के बैचों में कराया जाएगा।
G. प्रशिक्षण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों को मिलाकर होगा।
H. प्रशिक्षण हेतु राशि की व्यवस्था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् या राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और राशि सीधे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी।

दायित्व एवं कार्यों का निर्धारण :

मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम का संचालन राज्य में हर स्तर पर सफलतापूर्वक हो एवं इसके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित हो इस हेतु राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़े हर स्तर के पदाधिकारियों के लिए दायित्वों एवं कार्यों का निर्धारण आवश्यक है इसके साथ ही निर्धारित पदाधिकारी के द्वारा उनके लिए निर्धारित दायित्वों एवं कार्यों को पूरा किया जाना भी आवश्यक होगा।

मिशन गुणवत्ता अन्तर्गत विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नवत किया जाता है -

राज्य परियोजना निदेशक :

राज्य परियोजना निदेशक के लिए कार्यों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है -

1. मिशन गुणवत्ता के राज्य में क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक सक्षम एवं जिम्मेवार पदाधिकारी।

2. इनके द्वारा मिशन गुणवत्ता से संबंधित हर प्रकार की गतिविधियों के लिए योजना का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कराया जाएगा और समय-समय पर आवश्यकता आधारित आवश्यक निदेश दिये जाएँगे।
4. कार्यक्रम से संबंधित हर प्रकार की गतिविधियों के लिए राशि की व्यवस्था की जाएगी एवं संबंधित कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी।
5. कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराया जाएगा।
6. राज्य-स्तर के शिक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के बीच कार्यक्रम के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलों का बँटवारा एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाएगा।
7. कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु इसका मूल्यांकन।
8. अन्य सभी कार्य जो कार्यक्रम के संचालन के क्रम में आवश्यक होंगे।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् :

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे-

1. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु हर प्रकार की गतिविधियों का आकलन एवं उसके अनुरूप योजना का निर्माण।
2. कार्यक्रम पर व्यय होनेवाली राशि का आकलन एवं इस हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से राशि प्राप्त करना।
3. प्राप्त राशि को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित करना एवं व्यय सुनिश्चित कराना।
4. कार्यक्रम से जुड़ी हर प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण संदर्शिका निर्माण।
5. मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
6. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन।
7. विद्यालय में संचालित गतिविधियों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन।
8. प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होनेवाली शिक्षण अधिगम सामग्रियों का आकलन एवं उनका निर्माण।
9. कार्यक्रम से जुड़ी हर प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक शिक्षकों के बीच जिलों का बँटवारा एवं जवाबदेही का निर्धारण।
10. अन्य सभी कार्य जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाएँगे या कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होंगे।

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक :

1. प्रमंडल स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी।
2. हर स्तर के प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं पर्यवेक्षण।

3. विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के संचालन में सहयोग एवं उसका नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
4. अन्य कार्य जो राज्य स्तर से या राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा निर्धारित किये जाएँगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी :

जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे। उनका कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होगा-

1. जिला-स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से जिम्मेवार पदाधिकारी।
2. जिला स्तर पर विद्यालयों, संकुलों से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं उसके अनुरूप कार्यक्रम से संबंधित जिला स्तरीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन।
3. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उसका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
4. विद्यालयवार कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षकों के कार्यों का निर्धारण, उनका प्रशिक्षण, विद्यालयवार कार्यक्रम के संचालन की व्यवस्था, उसका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
5. कार्यक्रम के सफल निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों के बीच प्रखंडों का बँटवारा एवं जिम्मेवारी का निर्धारण।
6. कार्यक्रम से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण।
7. जिला के लिए संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संख्या में मुख्य प्रशिक्षकों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण।
8. उत्थान केन्द्र स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए योजना निर्माण एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था।
9. जिला स्तर पर कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार।
10. ग्रीष्मावकाश में संचालित विशेष शिक्षण की व्यवस्था एवं उनका संचालन।
11. कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं उसके आधार पर अगले वर्ष की योजना का निर्माण।
12. विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के बीच समन्वय।
13. अन्य कार्य जो राज्य स्तर से निर्धारित किये जाएँगे या जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दरम्यान आवश्यक दिखेंगे।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मुख्य अकादमिक संस्थान होगा। उसके कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे -

1. जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से जिम्मेवार संस्थान।

2. जिला स्तर पर विद्यालयों, संकुलों से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण, उनका विश्लेषण एवं उसके अनुरूप कार्यक्रम से संबंधित जिला स्तरीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन।
3. प्रशिक्षण हेतु संदर्शिका निर्माण में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को आवश्यक सहयोग एवं सहभागिता।
4. मुख्य प्रशिक्षक का चयन एवं उन्हें प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् में प्रतिनियुक्त करना।
5. मुख्य प्रशिक्षक के प्रशिक्षण में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के साथ प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन।
6. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन।
7. विद्यालयवार कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षकों के कार्यों का निर्धारण, उनका प्रशिक्षण, विद्यालयवार कार्यक्रम के संचालन की व्यवस्था, उसका अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन।
8. शिक्षक की कमी वाले विद्यालयों में कार्यक्रम के संचालन हेतु स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति।
9. कार्यक्रम के बेहतर संचालन हेतु उसके अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन की व्यवस्था एवं इस हेतु अध्यापक शिक्षकों के लिए प्रखंडवार जिम्मेवारी का निर्धारण।
10. कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय समिति के लिए प्रखंडवार अध्यापक शिक्षक को नामित करना एवं उनका उन्मुखीकरण।
11. जिला के लिए संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संख्या में मुख्य प्रशिक्षक का चयन एवं उनका प्रशिक्षण।
12. उत्थान केन्द्र स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए योजना निर्माण एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ना।
13. कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार।
14. ग्रीष्मावकाश में संचालित विशेष शिक्षण की व्यवस्था एवं उसका क्रियान्वयन।
15. कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं उसके आधार पर अगले वर्ष की योजना का निर्माण।
16. अन्य कार्य जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किये जायेंगे या जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दरम्यान आवश्यक होंगे।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी :

प्रखंड शिक्षा पदधिकारी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे-

1. प्रखंड अंतर्गत विद्यालयवार सूचना संग्रहण एवं उनका उपस्थापन।
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई योजना का प्रखंड में क्रियान्वयन।
3. प्रखंड के विद्यालयों में संचालित कार्यक्रम का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।

4. प्रखंडवार शिक्षक एवं बच्चों के आंकड़ों का सधारण एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
5. अन्य कार्य जो समय-समय पर निर्धारित किये जाएँगे।

संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक :

1. संकुल के सभी विद्यालयों में कार्यक्रम के संचालन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु सबसे जवाबदेह पदाधिकारी।
2. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा अपने संकुल के सभी विद्यालयों का शिक्षक एवं छात्र के परिप्रेक्ष्य में आँकडे का संग्रहण किया जाएगा।
3. शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. कार्यक्रम का निरंतरता में अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।
5. अवकाशरक्षित शिक्षकों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण।
6. उत्थान केन्द्र स्वयंसेवकों के साथ समन्वय।
7. विद्यालय, प्रखंड एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बीच एक कड़ी का कार्य करना।
8. समय-समय पर निर्धारित किये जानेवाले अन्य कार्य।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक :

1. विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी।
2. कार्यक्रम में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
3. शिक्षकों को समूहवार दायित्व सौंपना तथा विद्यालय में शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों को सुनिश्चित कराना।
4. अभिभावक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की मासिक बैठक आयोजित करना तथा बैठक में अभिभावकों को उनके बच्चे की दक्षता की जानकारी देना एवं उसकी प्रगति से उन्हे अवगत कराना।
5. कार्यक्रम संचालन में विद्यालय स्तर पर आनेवाली कठिनाइयों को दूर करना।
6. विद्यालय से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं तदनुरूप कार्य करना एवं ऊपरी संस्थाओं को वांछित सूचना उपलब्ध कराना।
7. समय-समय पर निर्धारित अन्य कार्य।

राशि एवं व्यय की व्यवस्था :

कार्यक्रम अन्तर्गत हर प्रकार की गतिविधियों एवं कार्यों के लिए राशि की व्यवस्था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की राशि से की जाएगी।

वैसी गतिविधियाँ जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान में राशि की व्यवस्था नहीं होगी उसके लिए राशि की व्यवस्था शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के योजना मद में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा व्यय हेतु राशि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी जो आवश्यकतानुसार राशि, व्यय हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराएगा।

राज्य सरकार द्वारा भी उपलब्ध करायी जानेवाली राशि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से व्यय की जाएगी।

राशि के व्यय से संबंधित लेखा का संधारण हर स्तर पर किया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर जाँच हेतु उपलब्ध रहेगा।

कार्यक्रम के किस-किस गतिविधि के लिए राशि की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान से की जाएगी एवं किस गतिविधि के लिए राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, इसका निर्धारण राज्य स्तर पर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर किया जाएगा।

वाहन की व्यवस्था :

कार्यक्रम के अनुश्रवण, अनुसमर्थन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु वाहन की व्यवस्था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा की जाएगी।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा या तो स्वयं के स्तर से वाहन की व्यवस्था की जाएगी या संबंधित संस्था को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

किस पदाधिकारी को कितने दिनों के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा इसका निर्णय राज्य स्तर पर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा लिया जाएगा।

कार्य योजना के मुख्य विन्दु एवं समय-सीमा का निर्धारण

1) प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का चयन

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार द्वारा निग्रत मार्गदर्शिका के आलोक में 5 अप्रैल तक हर हाल में कर लिया जाएगा।

2) प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का प्रशिक्षण

30 अप्रैल तक सुनिश्चित किया जाएगा।

3) प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा विद्यालय में कार्य: 20 मई तक।

4) बच्चों की दक्षता जाँच हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण

संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा 25 मई तक।

5) बच्चों की दक्षता जाँच एवं समूह निर्माण एवं पंजी, चार्ट पेपर एवं प्रगति पत्रक में बच्चों की दक्षता का संधारण

25 मई से 2 जून तक। विद्यालय के शिक्षक के द्वारा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के सहयोग एवं देख-रेख में। अनुश्रवण हर पदाधिकारी के द्वारा।

6) <u>बच्चों की दक्षता से अवगत कराने हेतु अभिभावक/माता-पिता की बैठक</u>

3 जून से 5 जून तक। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के द्वारा।

7) <u>शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण</u>

संकुल समन्वयक के द्वारा 6 जून से 10 जून तक। संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा। अनुश्रवण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की देख-रेख में सभी अध्यापक शिक्षक एवं प्राचार्य के द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी की देख-रेख में जिला स्तर के हर स्तर के पदाधिकारी के द्वारा। अजीम प्रेमजी एवं प्रथम के सदस्यों के द्वारा।

8) <u>ग्रीष्मावकाश एवं समर कैंप का संचालन</u>

ग्रीष्मावकाश 12 जून से 30 जून तक एवं कक्षा 3, 4 एवं 5 के बच्चों के लिए 12 जून से 30 जून तक समरकैंप का संचालन। अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा।

9) <u>समूह आधारित विद्यालय में शिक्षण</u>

1 जुलाई से। विद्यालय के शिक्षक के द्वारा।

10) <u>बच्चों के प्रगति पत्रक का दुसरा संधारण एवं बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के साथ बैठक में उसकी जानकारी देना</u>

अक्टुबर माह में 15 से 20 अक्टुबर के बीच। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के द्वारा संकुल समन्वयक के निर्देशन में।

11) <u>वर्षान्त मूल्यांकन, प्रगति पत्रक का तीसरा संधारण एवं अभिभवक को बच्चों के प्रगति की जानकारी</u>

मार्च माह में सभी बच्चों का।

विद्यालय द्वारा संकुल समन्वयक की देख-रेख में।

मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका का निर्माण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजीम प्रेमजी फउन्डेसन एवं प्रथम स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से किया जाएगा।

वर्षान्त मूल्यांकन के संबंध में राज्य सरकार प्रगति की वास्तविक स्थिति से अवगत होने हेतु इसे किसी स्वतंत्र एजेसी के माध्यम से कराने पर भी विचार कर सकती है।

वर्षान्त मूल्यांकन के आधार पर बच्चों के प्रगति पत्रक का तीसरा संधारण किया जाएगा एवं अभिभावक की बैठक बुलाकर उनके बच्चे की प्रगति की जानकारी दी जाएगी।

12) <u>अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन</u>

<u>संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक</u> - प्रतिदिन, विद्यालय में कम-से-कम दो घंटा का समय देंगे।

प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक - प्रतिदिन, विद्यालय में कम-से-कम एक घंटा समय देंगे।

अध्यापक शिक्षक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय- प्रत्येक अध्यापक शिक्षक, माह में कम-से-कम 10 दिन अपने आवंटित प्रखंड के विद्यालयों का।

प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय - माह में कम-से-कम ७ दिन, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आवंटित प्रखंडों के विद्यालयों का।

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - माह में कम-से-कम ऽ दिन,

अध्यापक शिक्षक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् - प्रत्येक अध्यापक शिक्षक, माह में कम-से-कम 10 दिन।

सदस्य, अजीम प्रेमजी फाउन्डेसन - प्रतिदिन या अपनी उपलब्धता के अनुसार।

सदस्य, प्रथम - प्रतिदिन या आपनी उपलब्धता के अनुसार।

सदस्य, अन्य स्वयंसेवी संस्था - प्रतिदिन या अपनी उपलब्धता के अनुसार।

(राज्य के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में कार्य करेंगे।)

13) निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी - माह में 20 दिन।

जिलास्तरीय पदाधिकारी - माह में 10 दिन, अपने आवंटित प्रखंड के विद्यालयों का।

जिला शिक्षा पदाधिकारी - माह में ७ दिन।

राज्य स्तरीय पदाधिकारी (बिहार शिक्षा परियोजना के पदाधिकारियों को मिलाकर) - माह में ऽ दिन, अपने आवंटित जिला के विद्यालयों का।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में निम्न विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-

(I) लोक भाषा में शिक्षण की व्यवस्था एवं लोक भाषा में तैयार किये गगये सामग्री का उपयोग।

(II) बच्चों के प्रगति पत्रक का नियमित संधारण एवं अभिभावकों की बैठक में उस पर चर्चा।

(III) समझकर पढ़ने की व्यवस्था।

(IV) बच्चों के सीखने हेतु शिक्षक द्वारा किये जा रहे नवाचार।

(V) बच्चों के भाषा एवं गणित का सामूहीकरण।

(VI) बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने क ी क्षमता विकास का अवलोकन।

(VII) बच्चों से प्रश्न पूछकर उनकी दक्षता का मूल्यांकन।

(VIII) शिक्षण में उपयोग में लायी जानेवाली शिक्षण अधिगम सामग्री का मूल्यांकन एवं उसका उपयोग।

(लोक भाषाओं में तैयार की गई सामग्रियों का उपयोग विद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य में व्यापक पैमाने पर किया जायेगा। इसकी तैयारी की जिम्मेवारी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की होगी।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् ;छबम्त्ज्द्ध तथा प्रथम द्वारा तैयार की गई कुछ अन्य सामग्रियों का उपयोग भी कक्षाओं में किया जाएगा।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा बच्चों के लिये तैयार एवं उपलब्ध कराये जा रहे समाचार पत्र ''चल पढ़ कुछ बन'' एवं विद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा।)

प्रमुख गतिविधियां, किसके द्वारा तथा लक्ष्य

क्र0सं0	गतिविधि	किसके द्वारा	लक्ष्य
1.	राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय साधन सेवियों का प्रशिक्षण	बिहार शिक्षा परियोजना/SCERT	निर्धारित मिशन गुणवत्ता योजना की पूरी समझ एवं तैयारी
2.	संकुल प्रभारियों का प्रशिक्षण	बिहार शिक्षा परियोजना/SCERT	प्रमुख गतिविधियों के लिए तैयार करना
3.	विद्यालय स्तर पर लोकभाषा में तैयार की गई Bridge Material तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था	NCERT, SCERT 'प्रथम' बिहार शिक्षा परियोजना	सभी प्राथमिक विद्यालयों में सम्पूर्ण सामग्री की व्यवस्था
4.	सभी प्राध्यापकों का प्रशिक्षण	जिला प्रशिक्षण दल द्वारा CRC स्तर पर SCERT/BEP	सभी प्राध्यापक पूरी तरह प्रक्रियाओं को समझें
5.	सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण	विद्यालय स्तर पर संकुल स्तरीय समन्वयकों के टीम द्वारा	सभी शिक्षकों को सभी प्रक्रियाओं के संचालन में दक्ष बनाना
6.	Entry Level Test	SCERT द्वारा	Baseline तथा प्रगति का मूल्यांकन

7.	जिला दल में साधन व्यक्ति	'प्रथम' / अजीम प्रेमजी संस्था द्वारा अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था SCERT साधन टीम	निर्धारित प्राथमिकताओं की वास्तविक पूर्ति हेतु
8.	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय/ SCERT/ साधन टीम	यह सुनिश्चित करने हेतु सभी BEO कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर सके
9.	जिला शिक्षा दलों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय/ SCERT/ निदेशालय	यह सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला शिक्षा, कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर सके

राज्य स्तरीय समिति :

कार्यक्रम के मासिक प्रगति की समीक्षा एवं अन्य सहयोग एवं समस्याओं के निराकरण हेतु प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समिति गठित होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1. राज्य परियोजना निदेशक
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
5. संयुक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा
6. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद
7. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण
8. विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद।
9. अजीम प्रेमजी फउन्डेसन के प्रतिनिधि
10. प्रथम स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि
11. अन्य शिक्षा प्रेमी (प्रधान सचिव की सहमति से)

समिति की मासिक बैठक, प्रधान सचिव की सहमति से निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा बुलाई जायेगी। समिति में कार्यक्रम से संबंधित हर प्रकार का निर्णय लिया जायेगा एवं निर्णय का अनुपालन हर स्तर के पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति :

राज्य स्तरीय समिति के तर्ज पर प्रत्येक जिला में कार्यक्रम की मासिक प्रगति की समीक्षा, सहयोग एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(1) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(2) प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (जिला में उपलब्धता के अनुसार)
(3) प्राचार्य, सभी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (जिला में उपलब्धता के अनुसार)
(4) सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

समिति की मासिक बैठक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा बुलाई जायेगी। समिति में कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु अध्यापक शिक्षकों के लिए प्रखंडों की जिम्मेवारी तय की जाएगी। इसी प्रकार कार्यक्रम के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए प्रखंडों की जिम्मेवारी तय की जाएगी। समिति द्वारा कार्यक्रम से संबंधित अन्य निर्णय भी लिये जाएंगे। जिसका अनुपालन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति अपने जिला में कार्यक्रम की प्रगति से संबंधित जानकारी राज्य स्तरीय समिति को देगी।

प्रखंड स्तरीय समिति :

प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति की मासिक समीक्षा हेतु एक प्रखंड स्तरीय समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे-

1. प्रभारी अध्यापक शिक्षक
2. प्रभारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी
3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
4. वरीय प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक/प्रखंड संसाधन केन्द्र प्रभारी

प्रखंड स्तरीय बैठक की अध्यक्षता, प्रभारी जिला स्तरीय पदाधिकारी (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी होने की स्थिति में) या प्रभारी अध्यापक शिक्षक के द्वारा की जाएगी।

प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक, वरीय प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक/प्रखंड संसाधन केन्द्र प्रभारी के द्वारा बुलाई जाएगी।

प्रगति का मूल्यांकन एवं अगले वर्ष के लिए लक्ष्य का निर्धारण :

प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम से संबंधित हुई प्रगति का मूल्यांकन फरवरी एवं माच्र माह में किया जाएगा।

प्रगति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्था से कराइ जायेगी एवं मुल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष के लिये लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा।

प्रगति के मूल्यांकन से संधित निर्णय राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से लिया जायेगा।